

संख्या-I-40014/08/2017/रा.भा./2021/..... 650

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
खंड2-, केंद्रीय कार्यालय परिसर
लोदी रोड, नई दिल्ली 03-

दिनांक-28/10/2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय – हिंदी कार्यशाला का आयोजन : मानदेय के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल से दिनांक-08.05.2019 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या-167 का संदर्भ लें, जिसके तहत आंतरिक वित्त प्रभाग, महानिदेशालय के दिनांक-05.05.16 के कार्यालय आदेश सं.-500 (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन) के तहत हिंदी कार्यशाला के व्याख्याताओं को महानिदेशालय के आंतरिक वित्त सलाहकार की सहमति उपरांत मानदेय हेतु प्रकरण गृह मंत्रालय को अग्रेसित किए जा रहे हैं।

2. इस संबंध में महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल के आंतरिक वित्त प्रभाग से औपचारिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरांत स्पष्ट किया जाता है कि हिंदी कार्यशालाओं तथा राजभाषा संबंधी अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रदान किए जाने वाले मानदेय की स्वीकृति के लिए आंतरिक वित्त सलाहकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अतः राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक-16.06.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं-12019/8/2015-रा.भा.(का-2)पार्ट-2 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष मानदेय की राशि लेखाशीर्ष 'वेतन'(Salary) से अपने स्तर पर स्वीकृत कर सकते हैं।


3. यह आंतरिक वित्तीय सलाहकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सेवा में,

1. समस्त फॉरमेशन, भा.ति.सी.पुलिस बल-तदनुसार कार्रवाई हेतु।
2. उप सेनानी(आई.टी.)-बल की वेबसाइट में विद्यमान राजभाषा फोल्डर में अपलोड करवाने हेतु।

प्रतिलिपि-

1. आंतरिक वित्त अनुभाग/प्रशासन अनुभाग/ महानिदेशालय भंडार/लेखा शाखा, महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल –सूचनार्थ।
2. गार्ड मिसिल।



उप महानिरीक्षक(शि.व.क.)
महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल
28/10

उप महानिरीक्षक(शि.व.क.)
महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल
28/10